न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. नारू पिता लच्छा जी गाडरी, निवासी डोड़ियों का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूलाल मुत्तबना (दत्तक पुत्र) नारू उर्फ नारायणलाल जी गाडरी, निवासी डोड़ियों का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती नारायणी बाई पत्नी नारायणी जी गाडरी, निवासी ढुढिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मोहनी पत्नी गोवर्धन जी गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला, उदयपुर (राज.)
4. पटवारी हल्का केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रैक), वल्लभनगर
दिनांक 14–06–2016 प्र.सं. 398/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) अपीलान्टगण 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

22–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डोडियों का खेड़ा में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ''क'', ''ख'' व ''ग'' की भूमियां स्थित है, जिसमें दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारान का हिस्सा है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर विवादित भूमियां प्रार्थीगण व विपक्षीगण की अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति हैं। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 सगे भाई बहन होकर लच्छा जी की संतान हैं, किन्तु लच्छा जी की मृत्यु पर विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण अकेले के नाम खुलवा लिया एवं राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया, जिसकी आड़ में विपक्षो संख्या 1 विवादित भूमि विकय करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 14–06–2016 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 व भैरूलाल द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक

पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सुने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया है, जबकि पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण आधार पर करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 विवादित भूमि के सहखातेदार हैं, जबकि विपक्षी संख्या 1 अर्थात अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा समस्त भूमियों का दान अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया है। यदि अपीलान्टगण विवादित समस्त भूमि में अपना हक अधिकार होना बताते हैं तो इसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में मानते हुए मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, जो विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–06–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर